भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र,दतिया, म.प्र.,४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661

क्रम स. 2/(8)/2021-22/भंडार/दतिया दिनाँक-

अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसन्धान केंद्र, ग्वालियर रोड, दतिया पर निम्नलिखित रबी फसलों के उत्पाद की नीलामी दिनांक 22/06/2021 (मंगलवार) को की जाएगी । इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले कार्यालय समय में अनाज एवं भूसा को देख सकते है ।

विवरण	नीलामी का समय	मात्रा
जौ	22.06.2021 (मंगलवार) 11 बजे सुबह	75 क्विंटल
सरसों		20 क्विंटल
तारामीरा		0.5 क्विंटल
चना		18.5 क्विंटल
जौ भूसा		10 क्विंटल
चना भूसा		25 क्विंटल

नियम व शर्तें: -

1. बोलीदाता को Covid-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा एवं बोली हेतु डबल मास्क लगाकर आने पर ही अनुसन्धान केंद्र में प्रवेश दिया जायेगा ।
2. संस्थान के अनुसन्धान फार्म प्रक्षेत्र दतिया पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त खुली बोली के माध्यम से नीलामी की जायेगी ।
3. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीयन/EMD ड्राफ्ट जमा कराना होगा ।
4. बोलीदाता को EMD राशि रु. 15000/- अनाज हेतु एवं रु. 1000/- भूसा हेतु पंजीयन के समय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि Head, CSWCRTI, RC, Datia के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी ।
5. अधिकतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के तुरंत बाद नीलामी की कुल रकम का 25 प्रतिशत भाग कार्यालय में तुरंत RTGS/NEFTबैंक/ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा । शेष पूरी रकम अनाज, भूसा अनुसन्धान केंद्र दतिया से बाहर ले जाने से पूर्व या पांच दिन के अन्दर जमा करनी होगी ।
6. केन्द्राध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से किसी भी अधिकतम बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर सकते है अर्थात बोली तभी मान्य होगी जब उसे केन्द्राध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा ।
7. बोलीदाता को अपना पैन न. एवं आधार न. की प्रति संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी ।
8. नीलामी की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को छोड़ कर अन्य सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा कराई गयी पंजीयन/धरोहर EMD राशि वापस कर दी जाएगी ।
9. रबी फसल उत्पाद एवं भूसा को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा ।

10. नीलाम की गयी उपरोक्त रबी फसल उत्पाद के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी संपत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निषेध होगा । यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी संपत्ति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरंत प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अंतर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिए जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।
11. किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर इस केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
12. ठेकेदार की नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा । ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गयी पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी ।
13. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एवं संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जायेगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
14. ठेके से सम्बंधित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए दतिया न्यायालय ही मान्य होगा ।
15. रबी फसल उत्पाद एवं भूसा अनुसन्धान केंद्र से बाहर ले जाने का कार्य प्रक्षेत्र अधिकारी अथवा तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में करना होगा ।
16. उपरोक्त रबी फसल उत्पाद फर्म द्वारा यदि 10 दिन के अन्दर नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति में EMD एवं जमा कराई गयी राशि जब्त कर ली जाएगी ।
17. नीलामी के समय केवल बोलीदाता (जिन्होंने EMD जमा कराई है) ही उपस्थित रहेंगे ।
18. उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता की बोली स्वीकार होने के पश्चात रबी फसल उत्पाद की नीलामीकर्ता को प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त जो भी लागू होगा जैसे - स्थानीय कर, विक्रय कर, अधिभार या अन्य करों का भुगतान सम्बंधित विभाग को स्वयं करना होगा । इसका पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का रहेगा ।
19. अन्य शर्तें नीलामी के समय बताई जायेंगी ।

(भगवान दास कुशवाहा)
प्रभारी अधिकारी भंडार

प्रतिलिपि

- सूचना पटल एवं केंद्र के मेन गेट भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया
- सचिव, कृषि उपज मंडी, दतिया (म.प्र.)
- प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया